जीतमल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

बनाम .....वादी

01 राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, भीलवाडा
02 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

उपस्थितः–
01 श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
02 तहसीलदार बिजौलियां प्रतिवादी पेरोकार

:–निर्णयः– दिनांक 27.06.2017

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील बिजौलियां के ग्राम लक्ष्मीखेडा में स्थित आराजी नं0 529 रकबा 30 बीधा 18 बिस्वा भूमि में से 2 बीधा 10 बिस्वा भूमि आवटंन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.02.1981 को जरिये मिसल संख्या 58/81 के आवंटन किया गया। दिनांक 06.05.1981 को मौके पर नपती कर आवंटित भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द किया गया तब से वादग्रस्त आराजी पर काबिज हो काश्त उपभोग करता चला आ रहा है। भूमि को उन्नत आबाद कर काश्त योग्य बनाई। भूमि के चारोतरफ पत्थरो की दिवार लगाई है। आवंटित भूमि का इन्द्राज आज दिनांक तक सेवन से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में नही किया गया। वादी आवंटन शर्तो की पालना कर काश्त करता आ रहा है। इस त्रुटि को दुरस्त कराने बाबत वादी ने कई बार प्रतिवादी को कहा किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम भूमि दर्ज नही की गई है। वादी को प्रथम बार दिनांक 16.09.2015 को ऋण लेने हेतु नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई। प्रतिवादी सरकार को 80 सी. पी.सी. का नोटिस जारी करवाया किन्तु फिर भी रिकार्ड में नाम दर्ज नही किया। अतः बिनाय वाद दिनांक 16.09.2015 को एंव दिनांक 29.09.2015 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया तब से उत्पन्न हो सतत् रुप से जारी है। वाद पत्र वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित करवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र भेज करवाई गई। प्रतिवादीगण की और से पेरोकार नायब तहसीलदार बिजौलियां उपस्थित हुये जिन्होने जाहिर किया की 80 सी. पी.सी. के नोटिस के जवाब को ही वाद पत्र का जवाब माना जावे।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के साथ दस्तावेज सूची मय दस्तावेजात आवंटन पत्र जमाबन्दी वर्तमान नोटिस डाक प्राप्त रसीद जवाब नोटिस प्रस्तुत किये। प्रतिवादीं की और से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुये

उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्य प्रतिवादीगण में भी पेरोकार सरकार ने किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नही कि गई।

प्रकरण में बहस अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी तहसीलदार पेरोकार सरकार की सूनी गई।

विद्धवान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही विस्तार से जिक्र किया तथा निवेदन किया की वादी को ग्राम लक्ष्मीखेडा आराजी नं0 529 में 2.10 बीधा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 07.02.1981 को हुये आवंटन बाबत सिपुर्दगीनामा इकरारनामा तरतीब दिया गया। किन्तु पटवारी हल्का के रिकार्ड में बिलानाम सरकार ही है। आवंटन का अमल राजस्व कर्मचारीयो की गलती से इन्द्राज नही हुआ है। वादी ने शहादत वादी में स्वयं के बयान कराये गये। आवंटन आदेश की प्रतिया वाद पत्र में संलग्न की गई है मौके पर कब्जा है पत्थरो की कोट लगा रखी है हमने तहसीलदार (राजस्थान सरकार) के प्रतिनिधी को नोटिस 80 सी.पी.सी. दिया किन्तु फिर भी रिकार्ड में इन्द्राज नही किया गया। अतः वाद पत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

शहादत वादी में पी.डबल्यू–1 जीतमल पिता देबीलाल धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा ने बयान में लिखवाया है कि मुझ प्रार्थी को ग्राम लक्ष्मीखेडा में आराजी नं0 529 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा जमीन 1981 में आवंटन हुई थी। जिसका कब्जा मौके पर सिपुर्द किया जिस पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मेने काफी लागत लगाकर मेहनत करके खेती योग्य बनाई उक्त भूमि के चारोतरफ पत्थर की कोट लगा कब्जा है। किन्तु भूमि आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम अंकन नही किया है,

जिरह पेरोकार सरकार उक्त भूमि आवंटन का आदेश पटवारी को नही मिलने से उक्त आवंटिती के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल नही हुआ है।

प्रतिवादी तहसीलदार बिजौलियां ने बहस के दौरान जाहिर किया है कि मौके पर वादी का कब्जा नही है पत्थरो की कोट लगाने मात्र से कब्जा नही माना जा सकता। वादी कभी भूमि दर्ज कराने बाबत् पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। राज्य सरकार प्रतिवर्ष अभियान चलाती है भूमि बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अतः बिनाय वाद जो तारीख गलत लिखी है रुक्का पट्टा आवंटन फीस जमा करवाई होती तो वादी प्रस्तुत करता। वादी को भूमि आवंटन की जानकारी होकर सिपुर्दगी करना भी सिपुर्दगी इकरारनामा में जाहीर होता है वादी ने मूल आवंटन पत्रावली भी तलब नही करवाई है। ऐसी स्थित में बिना मूल रिकार्ड के अभाव में वाद पत्र चलने योग्य नही है वादी का कब्जा होता तो साक्ष्य स्वरुप धारा 91 राजस्थान लेण्ड रिवेन्यू एक्ट के नोटिस प्रस्तुत करता। वाद खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्धवान अधिवक्ता वादी एंव प्रतिवादी तहसीलदार की बहस पर मनन किया वादी का वाद है कि वादी की ग्राम लक्ष्मीखेडा के आराजी नं0 529 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 07.02.1981 को आवंटन हुई। आवंटन आदेश का राजस्व कर्मियों द्वारा पालना नही करने से आज भी बिलानाम है, उक्त भूमि पर काफी खर्चा कर भूमि को कृषि योग्य बनाया है। वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जाहीर किया कि जब भूमि आवंटन दिनांक 07.02.1981 को हुई तथा वर्ष 2015 तक भूमि रिकार्ड में नही आयी। वादी को जानकारी ही नही है इस प्रकार 23–24 वर्ष की लम्बी अवधि तक वादी को जानकारी नही हो संदेहास्पद होकर उचित नही माना जा सकता। आवंटन के पश्चात भूमि सुपुर्द होती है तथा रुक्का पट्टा फिस लेकर नामान्तरकरण दर्ज होता है। यदि राजस्व कर्मियो द्वारा आवंटिती से मांग नही की गई तो आवंटिती को उसी समय आवंटन रुक्का पट्टा आदि की जानकारी करनी चाहीये थी। यदि उक्त आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा होता तो पटवारी द्वारा रा0ले0रे0एक्ट0 91 की कार्यवाही

कब्जा जाहिर नही होता है वादी ने एक भी जिन्स खसरा गिरदावरी की नकल पेश नही की है वादी ने स्वयं के अलावा भूमि पर काबिज होने की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाहान पडोसियान के बयान भी नही कराये है यदि मौके पर उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा होता तो वादी कमिश्नर नियुक्त करा मौका रिपोर्ट तलब करा सकता था। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कुछ नही किया है साथ ही वादी द्वारा आवंटन की प्रतियों को मूल अभिलेख से प्रदर्श भी नही करवाया है। अतः साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद पत्र खारीज योग्य है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.06.17

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)